(104)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर (कैम्प रीवा) जिला रीवा म.प्र.

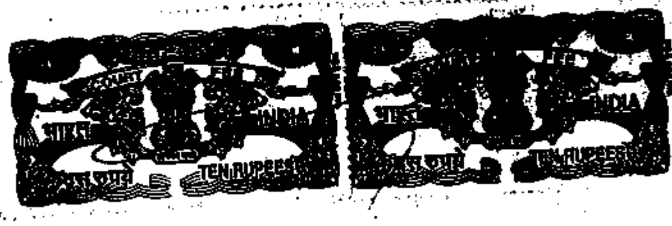

सोहनरिया पत्नी स्व0 भोलेनाथ ब्रा0 उम्र 78 वर्ष, निवासी ग्राम नदना तह0 मनगवां जिला रीवा म.प्र.

-निगरानी कर्ता

बनाम

1. सीता दुबे पत्नी कुंजबिहारी दुबे उम्र 43 साल,

2. अशोक कुमारी पुत्री स्व0 छकौडी प्रसाद, ब्रा0 उम्र 41 साल,

दोनो निवासी ग्राम नदना तहसील मनगवां, जिला रीवा म.प्र.-

3. सरपंच ग्राम पंचायत नदना, जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा म.प्र.

4. सचिव ग्रामपंचायत नदना, जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा म.प्र.

- गैरनिगरानीकर्तागण

R. 2443-II/12

अधिवक्ता श्री सी.बी. ... द्वारा प्रस्तुत रीवा दि0 17-7-2012

17.7.12

निगरानी विरुद्ध आदेश अनु0 अधिकारी महोदय, तहसील मनगवां, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्र0 71/अ-6/11-12 मे पारित आदेश दिनांक 28.6.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.।

28.7.12

मान्यवर,

निगरानी आवेदन के आधार निम्न है :-

1. यह कि पारित अधी0 न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया तथ्यो तथा सहज न्याय सिद्धांत की मंशा के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यह कि आपत्ति कर्ता / गैरनिगरानी कर्ता क्र0 3 व 4 विचारण न्यायालय मे किसी तरह पक्षकार नही थे, विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति कर्ता गैरनिगरानी कर्ता क्र0 3 व 4 द्वारा दिनांक 22.7.07 को आपत्ति तहसील न्यायालय सिरमौर मे प्रस्तुत की गई थी। जो खारिज कर दी गई। उक्त आदेश का आपत्ति कर्ता / गैरनिगरानी कर्ता क्र0 3 व 4 ने कही कोई चुनौती नही दी, और न ही नामान्तरण प्रकरण निरस्त किए जाने बावत कोई कार्यवाही ही किया, फिर 4 वर्षो बाद अचानक अधी0 न्यायालय मे आदेश एक नियम 10 जा0 दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कोई विचार किए ही अधी0 न्यायालय द्वारा उन्हे पक्षकार बनाये जाने का आलोच्य आदेश पारित कर दिया।

निशानी सोहनरिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R2443-II /12 जिला–रीवा

श्रीमती छोहगरिया द्वा0/ श्रीमती गीता दुवे

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री **सी0बी0 शर्मा** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 71/अ-6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	